अध्याय 7
कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट

धारा 31 : कर बीजक

(1) कराधेय माल की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,–

(क) जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, वहां प्राप्तिकर्ता को पूर्ति के लिए माल को हटाए जाने से पूर्व या हटाते समय; या

(ख) किसी अन्य मामले में, माल के परिदान या प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध कराए जाने से पूर्व या कराते समय,

माल का वर्णन, परिमाप और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, माल या आपूर्तियों के ऐसे प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवा के उपबंध के पूर्व या पश्चात्, किन्तु विहित अवधि के भीतर माल के वर्णन, परिमाप और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

[1][परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में–

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।]

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रारंभ होने वाली और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के प्रति पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य दो सौ रुपए से कम है;

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमाांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"**परंतु** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सेवाओं के प्रवर्गो को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में–

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज का बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।"

[2](ग) छूट–प्राप्त माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक पूर्ति बिल जारी करेगा;

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय पूर्ति बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो सौ रुपए से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसी संदाय की प्राप्ति का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला कोई रसीद वाऊचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ.) जहां, माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाऊचर जारी करता है, किन्तु पत्पश्चात् कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के प्रति कोई प्रतिदाय वाऊचर जारी कर सकेगा;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो [3][ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए] धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे पूर्तिकार से, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवा या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, ऐसे पूर्तिकार को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, संदाय करते समय संदाय वाऊचर जारी करेगा।

[4][**स्पष्टीकरण**– खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्तिकार जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है'' पद के अंतर्गत ऐसा पूर्तिकार भी होगा, जो केवल धारा 51 के आधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।]

(4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में, जहां लेखाओं के विवरण या आनुक्रमिक संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक को, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे विवरण को जारी करते समय या उससे पूर्व या, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा।

---

2 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 3/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 08.03.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है:
कठिनाईयों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे, जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019, दिनांक 07.03.2019, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,–

(क) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित किया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां बीजक उस समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति रुक जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति रुक जाती है और ऐसा बीजक ऐसे रुकने से पूर्व हुई पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहे या लिए जा रहे माल को पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास में, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कर बीजक'' पद के अंतर्गत पहले की गई किसी पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक भी होगा।

उपयुक्त नियमः नियम 46, 46क, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एवं 54